






फर्द अहकाम
(नियम 36)

अज अदालत जिला कलक्टर गुकाग प्रतापगढ़
श्री कपील कुमार ग्वाला बनाम श्री अरविंद कुमार डी. जे. जे. जे.
 किरम मुकदमा प्राथना पत्र प्र.सं. GCMS NO 16 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए।
11 ³ / ₂₂	<p>अधिवक्ता श्री कपील कुमार ग्वाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की जावे तथा प्रकरण के अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार समन तामिल रिपोर्ट एवं जवाब पीठासीन अधिकारी एवं रेस्पोंडेन्ट तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 25-03-2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)</p>	<p style="text-align: center;"></p>
25 ³ / ₂₂	<p>पत्रावली पेश हुई व कुलाय पसकार उपस्थित अधिनस्थ न्यायालय से तलब रिपोर्ट प्राप्त हुई बहन इम्यपस अन्तिम सूनी गई दोरमें बहन अधिवक्ता प्रार्थी कदी वाह अन्तरण के समुचित आघार सुस्पष्ट करने में असमर्थ रहे वहीं अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवाही ने वाह अन्तरण प्रार्थना पत्र को अनुचित बताते हुए अन्तरण अधिनस्थ न्यायालय में संचालित कार्यवाही को खम्बित करना मात्र प्रार्थी वादी का इशरय बताया। अधिनस्थ से प्राप्त रिपोर्ट में अधिनस्थ न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही संचालित होना बताते हुए अन्तरण में कोई आपाये नहीं की गई। इपरोमन विवेचन की रीशनी में प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाए जाने के खरीज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)</p>	<p style="text-align: center;"> </p>